

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

**विषय: मुख्यालय के आदेश संख्या-विविध/फार्म-38 व्यवस्था/2011-12/ 103 /1112050 दिनांक 23.8.2011 से जारी आदेश के संबंध में स्थिति का स्पष्ट किया जाना ।**

कमिश्नर वाणिज्य कर, उ० प्र० के आदेश संख्या-विविध/फार्म-38 व्यवस्था/2011-12/ 103 /1112050 दिनांक 23.8.2011 से जारी आदेश से निम्नलिखित वस्तुओं को विभागीय वेबसाइट से फार्म 38 डाउनलोड कर प्राप्त करने की दृष्टि से संवेदनशील वस्तु घोषित किया गया था:-

1. कोयला
2. आयरन एण्ड स्टील
3. वनस्पति घी
4. रिफाइनड आयल
5. सुपाड़ी
6. पटिया पत्थर, बदरपुर, रोड़ी-गिट्टी, मोरंग, बालू/रेता, खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर)

II- उक्त आदेश में आगे कहा गया था कि उपरोक्त वस्तुओं के आयात किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट से फार्म 38 डाउनलोड कर प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी , साथ ही साथ उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आदेश संख्या - फार्म / स०द० अनुभाग- फार्म 38 व्यवस्था/2011-12/1112014/26 दिनांक 4.5.11 से जारी किये गए अन्य निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे ।

III- आदेश दिनांक 23.8.2011 का कतिपय अधिकारियों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि उपरोक्त 6 वस्तुओं के लिये फार्म 38 के डाउनलोडिंग की सुविधा सभी व्यापारियों के लिये पूर्णतः समाप्त कर दी गई है जबकि आदेश दिनांक 23.8.2011 का आशय केवल आदेश संख्या - फार्म / स०द० अनुभाग- फार्म 38 व्यवस्था/2011-12/1112014/26 दिनांक 4.5.11 से निर्गत निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित करना था कि रु० 50 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले उक्त वस्तुओं के व्यापारियों को असीमित डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

चूंकि फील्ड के अधिकारियों में आदेश दिनांक 23.8.2011 के आशय को लेकर भ्रम की स्थिति व्याप्त है , अतः भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिये आनलाइन फार्म-38 डाउनलोड की वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था निम्न प्रकार से स्पष्ट की जाती है :-

1. पंजीयन की तिथि से एक वर्ष के अन्दर नए पंजीकृत व्यापारियों को तथा उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 19(3) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत एडवान्स टैक्स जमा करके फार्म-38 प्राप्त करने वाले आयरन एण्ड स्टील , कोयला, वनस्पति घी , रिफाइनड आयल तथा पटिया पत्थर, बदरपुर , रोड़ी-गिट्टी , मोरंग , बालू / रेता , खण्डा पत्थर (इमारती पत्थर को छोड़कर) के व्यापारियों के लिये वेब आधारित फार्म 38 प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी । ऐसे व्यापारियों को एडवान्स टैक्स जमा करने के बाद ही फार्म 38 मैनुअली कर निर्धारण कार्यालय से जारी किये जाएंगे ।
2. जो व्यापारी उपरोक्त क्रमांक (1) में नहीं आते हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर रु० 50 करोड़ से अधिक है, उन्हें सभी वस्तुओं के आयात के लिये विभागीय वेबसाइट से असीमित फार्म 38 डाउनलोड करने की सुविधा पूर्ववत् जारी रहेगी ।
3. जो व्यापारी उपरोक्त क्रमांक (1) में नहीं आते हैं किन्तु उपरोक्त आदेश दिनांक 23-08-11 द्वारा निर्धारित संवेदनशील वस्तुओं का आयात करते हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर रु० 50 करोड़ से कम है, उन्हें उक्त

संवेदनशील वस्तुओं के आयात के लिये विभागीय वेबसाइट से केवल सीमित फार्म 38 डाउनलोड करने की सुविधा अनुमन्य होगी।

4. उक्त संदर्भ में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि ₹0 50 करोड़ से कम टर्न ओवर के आयरन एण्ड स्टील के उन व्यापारियों जिनके लिये आन लाइन फार्म-38 डाउनलोड की सुविधा प्रतिबन्धित नहीं है तथा सुपाड़ी के व्यापारियों को यदि पूर्व में असीमित डाउनलोड की सुविधा प्रदान कर दी गयी है तो ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करके दिनांक 20-12-11 तक इनकी असीमित डाउनलोड की सुविधा समाप्त कर दी जाय।

कृपया उक्त निर्देशों से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराए।

ह0/

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उ0 प्र0, लखनऊ !

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष / निबन्धन, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील)वाणिज्य कर, लखनऊ।
- 6- एडीशनल कमिश्नर (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/ वि0अनु0शा0 /उ0 न्या0कार्य/ सर्वो0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर, उ0 प्र0।
- 8- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।

(एम0 के0 श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म /स0द0)वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।